झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा
एकादश (शीतकालीन)– सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 24 अग्रहायण, 1939 [ई0] / 15 दिसम्बर, 2017 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
45–	अ0सू0– 15	श्री साधुचरण महतो	छूट देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	09.12.2017
46–	अ0सू0– 11	श्रीमती गीता कोड़ा	दोषियों पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य चिकित्सा	07.12.2017
47–	अ0सू0– 10	श्री चमरा लिण्डा	आरक्षण नीति निष्प्रभावी करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	07.12.2017
48–	अ0सू0– 18	श्री प्रदीप यादव	पुर्नविचार करना।	सूचना एवं जनसम्पर्क	09.12.2017
49–	अ0सू0– 16	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	पालनाघर बनाना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	09.12.2017
50–	अ0सू0– 04	श्री नलिन सोरेन	बैंक से मुक्त कराना।	राजस्व निबंधन	05.12.2017
51–	अ0सू0– 13	श्री सुखदेव भगत	अधिसूचित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	09.12.2017
52–	अ0सू0– 22	श्री दीपक बिरूवा	टैबलेट वितरण करना।	राजस्व निबंधन	09.12.2017
53–	अ0सू0– 02	श्री राधाकृष्ण किशोर	कानून बनाना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शि0 एवं परि0 क0	04.12.2017

* का सभी सूचित प्रश्न समाज विभाग के क्रमांक 1237 दिनांक 12.12.17 द्वारा सूची क्रमांक के सामान्य विभाग को स्थानांतरित।
** का सभी सूचित प्रश्न श्रम विभाग के क्रमांक 1237 दिनांक 12.12.17 द्वारा कार्मिक एवं कार्य विभाग विभाग को स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
54–	अ0सू0– 12	श्री योगेन्द्र प्रसाद	लाभ देना।	योजना सह–वित्त	07.12.2017
55–	अ0सू0– 17	श्री सुखदेव भगत	प्रोन्नति देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	09.12.2017
56–	अ0सू0– 14	श्री प्रदीप यादव	पुर्नविचार करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	09.12.2017
57–	अ0सू0– 01	श्री जगरनाथ महतो	मद्य निषेद्य कानून लागू कराना।	उत्पाद एवं मद्य निषेद्य	04.12.2017
58–	अ0सू0– 08	श्री अरूप चटर्जी	जाँच कराना।	राजस्व निबंधन	05.12.2017
59–	अ0सू0– 09	श्री आलमगीर आलम	ट्रेनिंग कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	05.12.2017
60–	अ0सू0– 19	श्री बादल	भुगतान करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा	09.12.2017
61–	अ0सू0– 07	श्री राधाकृष्ण किशोर	प्रक्षेत्रों को विकसित करना।	योजना सह–वित्त	05.12.2017
62–	अ0सू0– 06	श्री कुणाल षड़ंगी	पेंशन सुनिश्चित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.12.2017
63–	अ0सू0– 20	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करना।	विधि	09.12.2017
**क*64–	अ0सू0– 03	श्री अशोक कुमार	न्यायालय की स्थापना।	विधि	04.12.2017
65–	अ0सू0– 23	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	यक्ष्मा पिड़ीतों का समुचित इलाज।	स्वास्थ्य चिकित्सा शि0 एवं परि0 क0	10.12.2017
66–	अ0सू0– 21	श्री अमित कुमार	परीक्षाफल प्रकाशित करना।	कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	09.12.2017
67–	अ0सू0– 05	श्री राजकुमार यादव	नोडल अधिकारी नियुक्त करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.12.2017

नोट:–**क*–अ0सू0–03– विधि विभाग के पत्रांक– 2622, दिनांक– 05.12.2017 के द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में स्थानान्तरित।

$ विधि विभाग के ज्ञापांक 2667 दिनांक 11.12.17 द्वारा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित

राँची,
दिनांक– 15 दिसम्बर, 2017

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–07/2015 2842 /वि०स०, रांची, दिनांक– 12/12/17

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के मा० सदस्यगण/मा० मुख्यमंत्री/मा० मंत्रिगण/मा० संसदीय कार्य मंत्री/ मा० नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–07/2015 2842 /वि०स०, रांची, दिनांक– 12/12/17

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–07/2015 2842, /वि०स०, रांची, दिनांक– 12/12/17

प्रतिः– कार्यवाही शाखा, बेवसाईट शाखा, ऑनलाइन शाखा एवं आश्वासन शाखा के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

सुभाष

(45)

माननीय स०वि०स० श्री साधुचरण महतो द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–15 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में ओ०बी०सी० कोटि के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छुट दी जाती है परन्तु झारखण्ड सरकार केवल 2 वर्षों की छुट देती है जिससे झारखण्ड के ओ०बी०सी० कोटि के लोग वर्त्तमान सरकार से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं;	अन्य राज्यों एवं केन्द्र सरकार में नियुक्ति प्रक्रिया में ओ०बी०सी० कोटि के लिए अधिकतम उम्रसीमा में छूट के संबंध में कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक झारखण्ड राज्य के सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्रसीमा के निर्धारण का प्रश्न है, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–609 दिनांक–25.01.2016 के द्वारा दिनांक–01.01.2016 से 31.12.2020 तक के लिए झारखण्ड राज्य के सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्रसीमा का निर्धारण निम्नरूपेण किया गया है:– (i) अनारक्षित – 35 वर्ष, विकलांगों के लिए – 40 वर्ष (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 37 वर्ष, विकलांगों के लिए – 42 वर्ष (iii) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) – 38 वर्ष, विकलांगों के लिए – 43 वर्ष (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष, विकलांगों के लिए – 45 वर्ष नोटः–भूतपूर्व सैनिको (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में केन्द्र व अन्य राज्य सरकारों के अनुरूप ही ओ०बी०सी० कोटि के लोगों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छुट देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–17/2017 का–1221/ राँची, दिनांक– 14/12/17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–2822 दिनांक–09.12.2017 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत कुमार 14/12/17

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(46)

श्रीमती गीता कोड़ा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 15.12.17 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०—11 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती गीता कोड़ा, मा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय मंत्री, स्वा० चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष–2002 में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर Jhrakhand Pharmacy Registration Tribunal का गठन किया था जिसे माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने WP (PIL) सं०– 1429/2002 में दिनांक 18.06.2003 को अपने पारित आदेश में निरस्त (अधिसूचना को) कर दिया था.	अस्वीकारात्मक। माननीय झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–731 (1) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 12.11.2001 को फार्मेसी रजिस्ट्रेशन ट्रिब्युनल का गठन किया था। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने WP (PIL) संख्या– 1429/2002 में दिनांक 18.06.2003 को अपने पारित आदेश में Annexre-5 दिनांक–14 जनवरी 2002 में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान की सूचना जिसे झारखण्ड सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्कालीन अवर सचिव द्वारा प्रकाशित किया गया था उसे निरस्त (Quash) किया गया है। रजिस्ट्रेशन ट्रिब्युनल को कभी भी निरस्त नहीं किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 वर्णित आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने CA 8121/2004, दिनांक 03.07.2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए यथाशीघ्र State Pharmacy Council के गठन करने का निर्देश दिया था.	स्वीकारात्मक। झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउन्सिल की गठन की प्रक्रिया जारी है। झारखण्ड फार्मेसी काउन्सिल के गठन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश यथा–निर्वाचन सूची तैयार करने एवं निर्वाचन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में विभागीय पत्रांक–365 (10) दिनांक 06.12.2017 द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को दिया जा चुका है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित उच्च न्यायालय झारखण्ड एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अवहेलना कर विभाग 15 वर्षों से Jhrakhand Pharmacy Registration Tribunal का संचालन राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों की मिलीभगत से किया जा रहा है.	अस्वीकारात्मक। खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशों की कभी भी अवहेलना नहीं की गई है। बल्कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में पारित आदेशों का अनुपालन कर रही है। इसमें राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों की मिलीभगत के कोई बात नहीं है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1, 2 एवं 3 में वर्णित विषयों पर SIT गठन कर Jhrakhand Pharmacy Registration Tribunal को भंग करते हुए State Pharmacy Council का गठन करने तथा दोषियों	अस्वीकारात्मक। खण्ड–1, 2 एवं 3 में वर्णित उत्तर से स्पष्ट है कि झारखण्ड राज्य रजिस्ट्रेशन ट्रिब्युनल फार्मेसी माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में कार्य कर रही है एवं State Pharmacy Council का गठन की प्रक्रिया भी जारी है।

पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	Jharkhand State Pharmacy Council के गठन के उपरांत झारखण्ड राज्य रजिस्ट्रेशन ट्रिब्युनल का अस्तीत्व स्वतः समाप्त होना है, इसलिए इसे भंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने CA-8121/2004 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2017 को दो माह का समय सीमा निर्धारित की गई है एवं उक्त दो माह में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार नई Voter List की सूची के पुर्नगठन के पश्चात संशोधित Voter List की प्रति झारखण्ड सरकार राज्य गजट में प्रकाशित होगी तत्पश्चात् झारखण्ड राज्य भैषज्य परिषद् का गठन हो सकेगा। अतः खण्ड–1, 2, 3 एवं 4 में वर्णित विषयों पर SIT गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–10/ क्यू (वि०सत्र)–01–12/2017 –374(10) स्वा०/राँची/दिनांक:– 13/12/17

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 2771 दिनांक 07.12.17 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

13.12.17

सरकार के उप सचिव।

श्री चमरा लिण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री चमरा लिण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–10 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में आरक्षण नियम लागू नही होता है;	विभागीय पत्र संख्या–709, दिनांक 04.03.1993 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 9322, दिनांक 24.08.2017 के आधार पर झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में आरक्षण नियम लागू है।
2	क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–8221, दिनांक–14.08.2014 एवं पत्रांक–9322, दिनांक–24.08.2017 के आदेश में कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण नियम लागू नही होगा;	संदर्भित पत्रों में स्थिति स्वतः स्पष्ट है।
3	क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश संख्या–5489/2010 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं है;	इस मामले में झारखण्ड सरकार पक्षकार नहीं है।
4	क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–679, दिनांक–14.04.2016 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी रहेगा (कॉपी संलग्न) साथ ही अध्यक्ष State Empowered Committee द्वारा भी दिनांक–28.08.2017 के पारित आदेश संख्या–10868 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण नियम निष्प्रभावी होगी (कॉपी संलग्न)	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 का प्रावधान स्पष्ट है कि जहाँ राज्य सरकार सहायता प्रदान करती है उन विद्यालयों में आरक्षण का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।
5	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अल्पसंख्यक विद्यालय में आरक्षण निती निष्प्रभावी चाहगी हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–39/2017 का0–12211 /रांची, दिनांक 14/12/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–2779 वि0स0, दिनांक–07.12.2017 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–18 का उत्तर –

क्र०सं0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि सरकार ने अर्नस्ट एवं यंग कम्पनी को पी०आर०एजेंसी के रूप में वित्तीय नियमावली के विरूद्ध नियुक्त किया है?	अस्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है कि इसके पूर्व से कार्यरत कम्पनियों को समय अवधि समाप्त के पूर्व ही हटा दिया गया है?	आंशिक स्वीकारात्मक
03	क्या यह बात सही है कि राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों ने भी इस निर्णय को गलत करार देते हुए इसका विरोध किया है?	अस्वीकारात्मक
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त आदेश पर पुनर्विचार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नहीं।

ह/०

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक।

झारखण्ड सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक –01/स्था(वि०स०) 06/03–2017 सू०ज०स० 704 राँची, दिनांक – 14.12.17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–2817, दिनांक–09.12.2017 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-12-17

सरकार के उप सचिव।

(49)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0–16 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सचिवालय एवं अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच (पालनाघर) की योजना लंबित है ;	पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना अन्तर्गत क्रेचों का संचालन भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (CSWB) एवं भारतीय बाल कल्याण परिषद (ICCW) के माध्यम से संचालित किए जाते थे। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इस योजना को केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत "राष्ट्रीय क्रेच योजना" के तहत संचालित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रखण्ड एवं जिला मुख्यालयों में एक–एक क्रेच (पालनाघर) प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित मार्ग–दर्शन प्राप्त होने के आलोक में संशोधित मार्ग निदेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में विलंब के कारण ऐसी कामकाजी महिलाएँ जिनके बच्चे छोटे–छोटे है उन्हे कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	स्वाभाविक है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले के निष्पादन हेतु योजना पर कार्य आरंभ हो चुका है;	स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, हां तो, कब तक, नहीं, तो क्यों?	सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये गये है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/वि0स0/अल्प सूचित प्रश्न–510/2017–4759 राँची, दिनांक : 13-12- 2017

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2823/वि0स0 दिनांक–09.12.2017 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/2017

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव

श्री नलिन सोरेन, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–04 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने पांचवी अनुसूचित क्षेत्र की 8,57,623.94 एकड़ भूमि कंपनियों को देने के लिए लैंड बैंक में शामिल किया है?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य अंतर्गत सरकार द्वारा चार श्रेणियों यथा गैर मजरूआ खास/ गैर मजरूआ आम/ गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी एवं अन्य सरकारी विभागों की अनुपयोजित भूमि को चिन्हित करते हुए उक्त भूमि की विवरणी तैयार की गई है, जिसमें जिलावार कुल 20,94,539.20 एकड़ भूमि सन्निहित है, जिसे राज्य की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं हेतु उपयोग में लाने के लिए चिन्हित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में सरकार के लैंड बैंक में 26.86 लाख एकड़ जमीन है तथा तोरपा अंचल के सर्वेक्षण में यह निकल कर आया है कि सरकार ने वहां 7,885.26 एकड़ गैरमजरूआ आम व खास जमीन जिसमें आम रास्ता, तालाब, चारागाह, कब्रगाह, नदी, पहाड़ के अलावे 4,523 एकड़ जमीन जंगल झाड़ को भी शामिल किया है?	तोरपा अंचल अंतर्गत गैर मजरूआ खास 3434.29 एकड़ गैर मजरूआ आम 683.20 एकड़ तथा गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी 747.40 एकड़ शामिल है।
3.	क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ग्राम सभा की जमीन ग्रामीणों के उपयोग के लिए है?	गैर मजरूआ आम भूमि यथा रास्ता, तालाब, इत्यादि की लीज बंदोबस्ती/स्थायी हस्तांतरण ग्राम सभा की सहमति से ही की जाती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पांचवी अनुसूचि क्षेत्र की जमीन पेसा अधिनियम 1996 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ग्राम सभा की जमीन व जंगल झाड़ की जमीन वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप जमीनों को लैंड बैंक से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स.भू.वि.स.(अ.सू.)–233/2017 5959 (5)/रा., राँची, दिनांक– 12-12-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–2693/वि.स., दिनांक–05.12.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(51)

श्री सुखदेव भगत, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अभियोजन निदेशालय का गठन झारखण्ड सरकार द्वारा Cr. PC की धारा 25A के अंतर्गत किया गया है	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि है Cr. PC की धारा 25A (VII) के तहत अभियोजन निदेशालय द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में वांछित अधिसूचना सरकार द्वारा अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रदेश में अपराधिक न्याय व्यवस्था की मजबुती एवं पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने एवं आवश्यक पर्वेक्षण हेतु अभियोजन निदेशालय के कार्यों को Cr. PC की धारा 25A (VII) के अंतर्गत अधिसूचित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रक्रियाधीन।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–06/वि०स०–04/11/2017–7185/ राँची, दिनांक–13/12/17ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2821, दिनांक–09.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17
सरकार के संयुक्त सचिव।

(52)

श्री दीपक विरूवा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–22 का उत्तर

प्रश्न		उत्तर
श्री दीपक विरूवा, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि प. सिंहभूम जिला में मानकी मुण्डा व्यवस्था सरकार का अभिन्न अंग होने साथ–साथ एक स्वतंत्र इकाई भी है,		**आंशिक स्वीकारात्मक।** मानकी, मुण्डा से राजस्व वसूली एवं विधि व्यवस्था संधारण में सहयोग लिया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि कोल्हान पोड़ाहाट क्षेत्र के मानकी मुण्डओं को लगान वसूली हेतु टेबलेट वितरण करने की योजना है,		दिनांक–21.11.2017 को प० सिंहभूम जिला को 1113 मानकी, मुण्डा एवं ग्राम प्रधान हेतु टैबलेट उपलब्ध करा दिया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि मानकी मुण्डा संघ के पत्रांक–MMs-84/2017, दिनांक–2.12.17 के द्वारा टेबलेट वितरण के पूर्व हकुकनामा (Record of Right) की मूल अभिलेखों को तथा वर्ष 2015 में विभाग द्वारा मुद्रित लगान रसीद की भांति वेबसाइट में परफोरमा (Performa) डालने (Upload) करने हेतु मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा है,		दिनांक–05.12.2017 को प्रसंगाधीन आवेदन प्राप्त हुआ है जिसपर सरकार के द्वारा नियमानुसार विचार किया जायेगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मानकी मुण्डा संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित मांग पत्र के आलोक में समुचित कार्रवाई करने के उपरान्त ही टेबलेट वितरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		यथोक्त कंडिका 1, 2 एवं 3

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–6/वि.स. (अ.सू. प्रश्न)–302/2017 5956/ रा., दिनांक– 12-12-17

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके गै.स.सं.–2819/वि.स., दिनांक–09.12.17 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Vidhan sabha (lalit)

93

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 15-12-2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, दिनांक– 26-11-2017 को राँची से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर के मुख्य पृष्ठ पर "डॉक्टर लेते हैं 60% तक कमीशन 35 रूपये की जाँच हो जाती है 110 रूपये की" के आलोक में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1-	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अधिकांशतः निजी अस्पतालों और जाँच घरों द्वारा बेहतर ईलाज से वंचित रह जाती है अथवा निजी अस्पतालों में बेहतर ईलाज क लिए वे कर्ज में डूब जाते है ;	सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिया जाता है, साथ ही राज्य सरकार ने P.P.P. आधार पर डायगोनोस्टिक सेवा का भी प्रबंध सरकारी अस्पतालों में किया गया है। जिसके अनुसार गरीबी रेखा अथवा 72,000/–रु0 वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत मरीजों को निःशुल्क एवं शेष को CGHS के दर पर जाँच सुविधा उपलब्ध है। निजी अस्पतालों एवं निजी जाँच घर की शुल्क तालिका को सरकार के स्तर से निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के निजी चिकित्सा संस्थानों और जाँच घरों में बेहतर और सस्ते ईलाज के लिए राज्य स्वास्थ्य सेवा कानून बनाना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0सभा0–07-43/17 413 (15) राँची, दिनांक– 14/12/17

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 2664 दिनांक– 04-12-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.17

सरकार के उप सचिव

Tiwari

(54)

श्री योगेन्द्र प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा आसन्न विधानसभा सत्र में दिनांक 15.12.2017 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 965 दिनांक 25.03.2009 के आलोक में संविदा कर्मियों के मानदेय एवं महँगाई भत्ता आदि की बढ़ोत्तरी की जाती है।	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या 2176/वि. दिनांक 28.07.2015 के द्वारा राज्य में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों के देय महँगाई भत्ता में अभिवृद्धि की गई एवं संकल्प संख्या 2177/वि. दिनांक 28.08.2015 द्वारा सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इंट्री ऑपरेटर के देय महँगाई भत्ता में अभिवृद्धि की गई।	स्वीकारात्मक।
(3.) क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प सं. 1965/वि. दिनांक 02.06.2017 के द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक प्रोग्रामर को सातवां वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश निर्गत किया गया है, जबकि राज्य में संविदा कर्मियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वित्त विभागीय संकल्प सं. 1965/वि. दिनांक 02.06.2017 द्वारा राज्य सरकार के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय/कोषागार/उप कोषागार एवं राज्य के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में नियत संविदा राशि/एकमुश्त नियत राशि पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को देय एकमुश्त राशि में अभिवृद्धि की गई है।
(4.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संविदा के आधार पर कार्य कर रहे कर्मियों को उक्त लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्त विभागीय परिपत्र सं0 2176 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार संविदा कर्मियों को संविदा राशि का भुगतान किया जा रहा है। फिलहाल इसमें कोई वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि०स० (4)-27/2017..152/वि०प० राँची/दिनांक: 13.12.17

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को प्रश्न संख्या 12 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.12.2017
(अखिलेश कुमार वाजपेयी)
उप सचिव
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची।

श्री सुखदेव भगत, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री सुखदेव भगत, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–17 का उत्तर निम्नवत अंकित है–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प सं०–1072, दिनांक–17.02.2009 झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के सम्बन्ध में आदर्श रोस्टर प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त संकल्प के अनुसार राज्य स्तर पर सीधी सेवाओं/संवर्गों एवं पदों में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति को 10% एवं अनुसूचित जनजाति को 26% आरक्षण की व्यवस्था है? शेष 64% सीट अनारक्षित है?;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4 (2)(क) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 10 और 26 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनारक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 के अनुसार प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उपलब्ध है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा०वि०स०–07–40/2017 का०–12769/रांची, दिनांक 13.12.17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०–प्र०–2824 वि०स०, दिनांक–09.12.2017 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–14 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने लैंड बैंक में ग्रामीण क्षेत्र की गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास एवं गैरमजरूआ जरी–जंगल प्रकार की जमीन को शामिल किया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस कारण पूर्व से बंदोबस्ती जमीन ग्राम–नाई रोड, अंचल–बेंगाबाद, जिला–गिरिडीह के रैयतों का जमीन छिनकर लैंड बैंक में शामिल किया गया है जिससे राज्य के भूमिहीन लोग आत्महत्या करने को विवश है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुतः नाई रोड के नाम से कोई राजस्व ग्राम नहीं है, अपितु यह ग्राम–नईटांड, अंचल–बेंगाबाद, जिला–गिरिडीह से संबंधित है। उक्त मामले में द्वारिका पंडीत पिता–स्व0 जानकी पंडीत एवं अन्य तीन व्यक्तियों को गृहस्थता परचा दिया गया था। तत्पश्चात जाँच के क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि सभी व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य है तथा आवंटन हेतु निहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। विदित हो कि इसके पूर्व भी इन्हें इस जमीन के अलावे अन्य जमीन पर वासगीत पर्चा दिया गया था। फलस्वरूप तथाकथित वासगीत पर्चा राजस्व, एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–4/खा0म0 नीति 109/71–2034 दिनांक–03.05.1971 एवं पत्रांक–11/ भू0सु0वि0 6/99–749/रा0, दिनांक–20.05.1999 के प्रावधान के प्रतिकूल पाये जाने के कारण दिनांक– 25.02.2011 को रद्द कर दिया गया। अतएव भूमिहीन लोगों के आत्महत्या हेतु विवश की सूचना सही नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त आदेश पर पुनर्विचार करना चाहती है ?, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इस परिपेक्ष्य में उक्त आदेश के पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–5/स0भू0 वि0स0 (अ0सू0)– 234/2017 6023/रा0 राँची, दिनांक– 14-12-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2820/वि0स0, दिनांक–09.12.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव

दिनांक–15.12.2017 को श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–01 का उत्तर

क्रमांक	प्रश्नकर्ता– श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता– माननीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य को नशामुक्त राज्य बनाने की कोई योजना बिहार राज्य या अन्य राज्यों जैसा नहीं है;	अस्वीकारात्मक है। राज्य सरकार का मानना है कि नशापान एक सामाजिक बुराई है जिसे मद्यपान जनित हानियों से लोगों को जागरूक कर जन सहभागिता से ही समाप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में सरकार के द्वारा उन ग्रामों को जो नशा मुक्त हो गए हैं को प्रक्रियात्मक जाँचोपरांत ₹1,00,000 (एक लाख) का ईनाम देने की एक योजना "नशामुक्त ग्राम" लागू की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार का उद्देश्य मदिरा की बिक्री से लाभ कमाना भी नहीं है। उक्त तथ्यों को दृष्टिपथ रखते हुए राज्य सरकार ने झारखण्ड स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मदिरा बिक्री करने का निर्णय संसूचित किया है, जो चीर्य मदिरा व्यापार को नियंत्रित करने की दिशा में अहम कदम है।
2	क्या यह बात सही है कि मद्यपान से आये दिन सड़क हादसे एवं महिला उत्पीड़न में वृद्धि और राज्य का मानवीय संसाधन रोग ग्रस्त हो रहा है;	मद्यपान से महिला उत्पीड़न एवं मानवीय संसाधन रोग से संबंधित कोई आंकड़ा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। साथ ही विभाग के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय/राजकीय राजमार्गों से 500/220 मीटर की दूरी के अन्तर्गत (नगर निकाय आदि को छोड़कर) किसी प्रकार के शराब दुकान को नहीं खोला गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में तथा राज्य को नशामुक्त बनाने हेतु मद्य निषेध कानून लागू कराना चाहती है हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों?	कंडिका–1 एवं 2 से स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

झारखंड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–03/विधायी–04–09/2017– 2249 राँची दिनांक– 13/12/17

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं० प्र.–2663/वि०स० दिनांक –04.12.2017 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/XII/17

सरकार के अवर सचिव

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–08 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के बुंडू प्रखण्डान्तर्गत 62.26 एकड़ जमीन NGO को पट्टा में देना था,		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित इस जमीन को पट्टा देने के विषय पर मंत्रीपरिषद् को मिले प्रस्ताव में यह साफ था की यह जमीन 30 साल के लिए NGO को पट्टा पर दी जाएगी जिसका कीमत 9.44 करोड़ रूपये होगी और इस पट्टा के एवज में हर साल एक तय राशि NGO से ली जाएगी,		स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 के विपरीत खण्ड–1 में वर्णित यह जमीन एक रूपये में ही NGO को दे दी गई है, जिससे राजस्व में भारी क्षती हुई है,		मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–21.11.2017 के मद सं.–7 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्यादेश सं.–5672/रा. दिनांक–27.11.17 द्वारा Cultural- cum- Educational Complex, Residential School, Goshala, International School, Community Hall and Akshaya Patra Centralized Kitchen की स्थापना हेतु 1/– (एक) रूपये टोकन सलामी पर Great India Talent Foundation (महान भारत प्रतिभा संस्थान) को 30 (तीस) वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जमीन को खण्ड–2 के आधार पर NGO को पट्टा देते हुए इस तरह के नियम विरूद्ध कार्य पर उच्च स्तरीय जाँच कराने की विचार रखती है, हाँ तो कब, नहीं तो क्यों?		कंडिका–3 में स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/वि.स.(अ.सू.)–127/2017 5953(4)/रा., राँची, दिनांक– 12-12-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–2700/वि.स., दिनांक–05.12.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(59)

श्री आलमगीर आलम, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 15-12-2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं सामान्य चिकित्सक सहित ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन के कुल 19863 सृजित पद के विरूद्ध 8527 पद रिक्त हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलो के ग्रामीण क्षेत्रों में Informal Health Providers कार्यरत हैं, जिसका लाभ ग्रामीण मरीजों को हो रहा है ;	स्वास्थ्य निदेशालय के अन्तर्गत Informal Health Providers कार्यरत नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि बिना सक्षम स्तर से मान्यता प्राप्त किये चिकित्सा कार्य किया जाता है तो वैसी स्थिति में उनके विरूद्ध IPC एवं अन्य संगत कानून के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया जाना है – I. IPC: 416---CHEATING BY IMPERSONATION II. IPC: 417---PUNISHMENT FOR CHEATING III. IPC: 418---CHEATING WITH KNOWLEDGE IV. IPC: 419--- PUNISHMENT FOR CHEATING V. IPC: 471--- USING AS GENUINE FORGED DOCUMENT VI. IPC: 23,24,25--- WRONGFUL GAIN, DISHONESTY, FRADULENCY VII. IPC: 44--- INJURY VIII. IPC: 269, 270--- NEGLIGENCE ACT & MALIGNANT ACT. (LIKELY TO SPREAD INFECTION OF DANGEROUS DISEASE). IX. IPC: 336, 337, 338--- ACT ENDANGERING LIFE OR PERSONAL SAFETY, CAUSING HURT AND CAUSING GRIEVOUS HURT. X. INDIAN MEDICAL COUNCIL ACT 1956- SECTION 15 & SECTION 25. XI. INDIAN MEDIC DEGREES ACT- SECTION 6- (1) XII. DRUG AND COSMETICS AT 1940- SECTION 27 आदि आदि।
3-	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य सचिव के पत्रांक 604 (17) दिनांक– 20.11.17 के द्वारा राज्य के सभी उपायुक्त को ग्रामीण क्षेत्रों में Informal Health Providers के प्रैक्टिस पर रोक का निदेश दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को काफी कठिनाई हो रही है ;	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा राज्य में "झोला छाप" डॉक्टरों द्वारा खुलेआम प्रैक्टिस कर मरीजों की जान से खेलवाड़ करने से संबंधित मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है । उक्त निदेश के अनुपालन के क्रम में उल्लेखित पत्र दिया गया है। इस निदेश के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को कठिनाई हो रही है, अबतक इसकी कोई सूचना प्राप्त नही है। इसके विपरित इस निदेश का अनुपालन करने वालो से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को गलत उपचार से मुक्ति मिलेगी एवं सरकारी/ गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में वे समुचित ईलाज हेतु आऐंगे।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत Informal Health Providers को पश्चिम बंगाल सरकार के दर्ज पर विशेष Training कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर की कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०सभा०–07-47/17 414 (15) राँची, दिनांक– 14/12/17

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 2703 दिनांक– 05-12-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.17

सरकार के उप सचिव।

Tiwari

60

श्री बादल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 15-12-2017 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत बहुदेशीय कार्यकर्त्ता (MPW) की नियुक्ति संविदा पर स्वीकृत पद के विरूद्ध की गयी थी ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा पर सृजित पद के विरूद्ध कार्यरत बहुदेशीय कार्यकर्त्ता (MPW) को संविदा राशि का भुगतान वेतनमान के अनरूप किया जाना है ;	अस्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत बहुदेशीय कार्यकर्त्ता (MPW) को सातवीं वेतनमान के अनुरूप संविदा राशि भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में उत्तर स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०सभा०–07-50/17 409(15) राँची, दिनांक– 14/12/17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 2816 दिनांक– 09-12-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.17

सरकार के उप सचिव

Tiwari

श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0– अ0सू0–07 का उत्तर सामग्री

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने राज्य के पाँच प्रक्षेत्रों क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु एवं महिला विकास, कृषि तथा ई–गवर्नेन्स को लक्षित कर 2015 से लेकर 2020 तक उक्त प्रक्षेत्रों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है,	अंशतः स्वीकारात्मक। वर्णित प्रक्षेत्र राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। सरकार द्वारा इन प्रक्षेत्रों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राज्य मानक को लाने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु वर्ष 2015–20 के लिए प्रक्षेत्रवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। विभागवार वार्षिक वित्तीय उपबंध किए गए हैं, जो लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु सदुपयोग किए जा रहे हैं।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 के अक्टूबर माह तक खण्ड-I में वर्णित प्रक्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितनी प्रगति हुई है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्षवार वित्तीय उपबंध के विरूद्ध वित्तीय प्रगति संतोषप्रद रही है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

ज्ञापांक–10/वि0ए0 (4)–26/2017 1802/ रॉंची, दिनांक 13/12/17
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञाप सं0–2692 दिनांक 05.12.2017 के आलोक में 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/12/17
(सच्चिदा नन्द प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

(62)

श्री कुणाल षड़ंगी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकारी घोषणा के बावजूद आज तक बहुत सारे सूचीबद्ध झारखण्ड आंदोलनकारियों को पेंशन नहीं मिल रही है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बहुत सारे आंदोलनकारियों को एफ०आई०आर० कॉपी एवं जेल प्रमाण–पत्र के लिए वर्षों से सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, परन्तु उन्हे आज तक न तो एफ०आई०आर० की कॉपी और न ही जेल प्रमाण पत्र मिला है ?	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि बहुत सारे आंदोलनकारियों का एफ०आई०आर० की कॉपी और जेल प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से गायब है, जिसके कारण वे सभी आंदोलनकारी पेंशन से वंचित है ?	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड आंदोलनकारियों का एफ०आई०आर० की कॉपी और जेल प्रमाण–पत्र गायब होने के कारणों की जांच कर संबंधित पदाधिकारियों के उपर कार्रवाई तथा पेंशन से वंचित आंदोलनकारियों को एफ०आई०आर० की कॉपी और जेल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर पेंशन सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1, 2, एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–914/2017 7089/ राँची, दिनांक– 13/12/17 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2690, दिनांक–05.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17
सरकार के संयुक्त सचिव।

(63)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय सदस्या, विधान सभा, झारखण्ड द्वारा दिनांक–15.12.2017 को सदन में पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 20 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कम उम्र की बच्चियों, लड़कियों के खिलाफ यौन शोषण की घटनाएं बढ़ी है,	:–	आंशिक स्वीकारात्मक। पोक्सो एक्ट (Pocso Act) के तहत वर्ष 2014 में 318 काण्ड, वर्ष 2015 में 469 काण्ड, वर्ष 2016 मे 588 काण्ड एवं वर्ष 2017 में माह, नवम्बर तक 539 काण्ड प्रतिवेदित हुए हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में अधिकांशत: परिवारिक सदस्यों, पड़ोसियों, अधेड़ उम्र के लोगों की सहभागिता के मामले सामने आ रहे है,	:–	आंशिक स्वीकारात्मक। परिवारिक सदस्यों, पड़ोसियों, अधेड उम्र के लोगों की सहभागिता के अतिरिक्त अनजान व्यक्तियों के द्वारा भी इस तरह की घटनाएँ कारित किए जाने की बात प्रकाश में आई है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में भुक्तभोगियों को त्वरित न्याय प्रदान करने को राज्यभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर मामले के त्वरित निष्पादन की योजना सरकार के विचाराधीन है,	:–	अस्वीकारात्मक। विधि विभागीय अधिसूचना संख्या–बी01/विधि (कोर्ट गठन)–280/2013–161/जे0, दिनांक–27.01.2014 के द्वारा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–28 के अंतर्गत झारखंड राज्य के सभी न्यायमंडलों के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–1 एवं न्यायायुक्त–1 राँची के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित (Designate) किया जा चुका है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस दिशा में समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	:–	कंडिका से (3) के उत्तर से स्वत: स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग,

ज्ञापांक–बी0/विधि–(वि0स0प्र0)–18/2017– 2709 /जे0, राँची, दिनांक– 14 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को ज्ञाप सं0–2818/वि0स0, दिनांक–09.12.2017 के के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(प्रवास कुमार सिंह)
प्रधान सचिव –सह–विधि परामर्शी।

श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य, विधान सभा, झारखण्ड द्वारा दिनांक–15.12.2017 को सदन में पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 03 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा अनुमण्डल की स्थापना हुई एवं स्थापना के बाद वहाँ अनुमंडल कार्यालय के साथ अनुमंडल दंडाधिकारी का न्यायालय चल रहा है ;	:–	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि महागामा अनुमंडल के अंतर्गत महागामा, हनवारा, बलबड्डा, मेहरमा, ठाकुरगंगटी, बोआरीजोर, ललमटिया तथा राजाभिट्ठा थाना पड़ता है, जहाँ के सुदूरवर्ती गांवों से आम लोगों को करीब 50 से 75 किलोमीटर की दूरी तय कर सिविल एवं अपराधिक वादों का निपटारा हेतु गोड्डा जाना पड़ता है ;	:–	आंशिक स्वीकारात्मक। थाना राजाभिट्ठा, गोड्डा अनुमंडल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है।
3.	क्या यह बात सही है कि महागामा अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय की स्थापना हो जाने से आम लोगों को कम खर्च में आने–जाने की सुविधा मिलेगी तथा त्वरित न्याय का भी अवसर मिलेगा ;	:–	स्वीकरात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय की स्थापना कराने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?		मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राँची के अ0स0प्र0 स0–7302332/मु0मं0स0, दिनांक–08.09.2017 के आलोक में नवसृजित महागामा अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के निमित्त माननीय विधि (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विधि विभागीय पत्रांक–2565, दिनांक–24.11.2017 एवं पत्रांक–2633, दिनांक–05.12.2017 के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय से महागामा अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय गठन हेतु दिशा–निर्देश हेतु अनुरोध किया गया है। सम्प्रति जवाब अप्राप्त है।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग,

ज्ञापांक–बी0/विधि–(वि0स0प्र0)–16/2017– 2688/जे0, राँची, दिनांक– 13 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को ज्ञाप सं0–2662/वि0स0, दिनांक–04.12.2017 के के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

13.12

(प्रवास कुमार सिंह)
प्रधान सचिव –सह–विधि परामर्शी।

(65)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 15-12-2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –स–23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला से 07 (सात) किलोमीटर पर अवस्थित फरठिया पंचायत के उरौंव टोला पूर्णतः यक्ष्मा रोग से ग्रसित है ;	अस्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित उरौंव टोला के सुरेश उरौंव, राजनाथ उरौंव, मगर उरौंव ,सोमर उरौंव की मृत्यु यक्ष्मा रोग से ग्रसित होने के कारण हुई है ;	अस्वीकारात्मक। वर्णित उरौंव टोला के सुरेश उरौंव की मृत्यु के संबंध में उपायुक्त, गढ़वा के ओदशानुसार पड़ताल की गई थी जिसके आलोक में उक्त ग्राम/टोला का सर्वेक्षण दिनांक– 25.10.17 को की गई तथा सुरेश उरौंव की मृत्यु की पड़ताल की गई थी जिसमें यह यक्ष्मा से ग्रसित न होकर न्युमोनिया से ग्रसित होने की पुष्टि हुई थी । राजनाथ उरौंव यक्ष्मा रोग से ग्रसित होने की पुष्टि हुई थी तथा वे दिनांक 07.09.2016 से टी०बी० की दवा ले रहे थे। मंगर उरौंव, सोमर उरौंव यक्ष्मा रोग से ग्रसित नहीं है।
3-	क्या यह बात सही है कि अभी भी खण्ड– 1 में वर्णित उरौंव टोला के रूकमणी देवी पति सुकु उरौंव, जयराम उरौंव, कुणाल चौधरी, सोहन उरौंव एवं श्म्भु उरौंव यक्ष्मा से पिड़ित है ;	अस्वीकारात्मक। उरौंव टोला में वर्णित रूकमणी देवी, जयरमा उरौंव, कुणाल चौधरी एवं सोहन उरौंव उपलब्ध अभिलेख के आधार पर यक्ष्मा रोग से पिड़ित नहीं है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गढ़वा जिले के सदर प्रखण्ड स्थित फरठिया पंचायत के उरौंव टोला में यक्ष्मा से पिड़ित लोगों को विशेष कैम्प लगाकर समुचित इलाज की व्यवस्था कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में उत्तर स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०सभा०–07-51/17 410(15) राँची, दिनांक– 14/12/17

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 2836 दिनांक– 10-12-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.17

सरकार के उप सचिव

Tiwari

माननीय स0वि0स0, श्री अमित कुमार द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–21 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2017, विज्ञापन सं0–05/2017 की प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त परीक्षा परिणाम में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कट–ऑफ–मार्क्स प्रकाशित किए गए हैं, परन्तु अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कट–ऑफ–मार्क्स को नहीं दर्शाया गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2017 की प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल में सभी आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम संख्या उस वर्ग की रिक्ति से पाँच गुणा सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान है। मेधाक्रम में इससे अधिक संख्या में भी चयन हो सकता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 की रिक्तियाँ एवं परीक्षाफल में मेधाक्रम के आधार पर सम्मिलित उक्त वर्गों के अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है:–

क्र0सं0	आरक्षित वर्ग	रिक्ति	रिक्तियों का पाँच गुणा	परीक्षाफल में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या
1.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1	209	1045	2411
2.	पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2	172	860	1919

उल्लेखनीय है कि मेधाक्रम में किसी वर्ग विशेष की रिक्ति से पाँच गुणा अथवा इससे अधिक अभ्यर्थियों के आने पर उस वर्ग के लिए अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है तथा मेधाक्रम में रिक्ति से पाँच गुणा से अधिक उस वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या होने पर भी उन्हें परीक्षाफल से नहीं हटाया जाता है। तद्नुसार आयोग द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा में कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक का प्रकाशन करते हुए इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया गया है। चूँकि मेधाक्रम से तैयार सूची में अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1 एवं पिछड़ा वर्ग–2 के अभ्यर्थी वांछित संख्या से अधिक हैं, अतः अलग से कट ऑफ अंक प्रकाशित नहीं किया गया।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त परीक्षा का संशोधित परीक्षाफल प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, तदनुसार संशोधित परीक्षाफल की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–14/2017 का0 1221 /राँची दिनांक– 14 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2825, दिनांक–09.12.2017 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/17

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव।

(67)

श्री राज कुमार यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.12.2017 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गोरक्षको के शिकार पीड़ित के संबंध में 6 सितम्बर, 2017 को अपने आदेश में कहा है यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि गोरक्षा के नाम पर हो रहे हिंसा के शिकार लोगों को क्षतिपूर्ति करें ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया के तहत पीड़ितों को मुआवजा देना राज्य के लिए अनिवार्य है तथा राज्य के सभी जिलों में नोडल पदाधिकारी हिंसा रोकने हेतु नियुक्त करने के आदेश पर अनुपालन रिर्पोट मांगा है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–06.09.2017 को आपराधिक प्रक्रिया के तहत पीड़ितों को मुआवजा भुगतान के संबंध में कोई आदेश नही दिया गया है। फिर भी राज्य में हाल–फिलहाल घटित ऐसे आपराधिक मामलों के पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के सभी जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन के संदर्भ में प्रतिशपथ पत्र दायर कर दिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 6 सितम्बर, 2017 को राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों की हिंसा/हत्या के संबंध में स्थिति रिर्पोट पेश की है ?	अस्वीकारात्मक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक–21.07.2017 की सुनवाई हेतु दायर शपथ पत्र में राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों की हिंसा/हत्या के संबंध में स्थिति रिर्पोट पेश किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में गोरक्षकों के शिकार पीड़ित परिवारों को चालु वित्तीय में मुआवजा भुगतान व हर जिले में हिंसा की रोकथाम हेतु नोडल अधिकारी को नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–43/2017 7189/ राँची, दिनांक–13/12/17 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2691, दिनांक–05.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

सरकार के संयुक्त सचिव।